



प्रेस विज्ञप्ति

30.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आइजोल उप-आंचलिक कार्यालय ने संगठित अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी और धन शोधन के एक नेटवर्क के संबंध में दिनांक 28.09.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 22 बैंक खातों में जमा शेषराशि के रूप में लगभग **4.76 करोड़ रुपये** की चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), अगरतला आंचलिक इकाई द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की, जो एनसीबी मामला संख्या 07/2025 से उत्पन्न हुई थी। मूल अपराध 21.08.2025 को मिजोरम में कीफांग और सेलिंग के बीच संचालित एक संयुक्त अभियान के दौरान 49.101 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की गोलियों और 40 ग्राम हेरोइन की जब्ती से संबंधित है। एनसीबी द्वारा की गई जांच से अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं के पार संचालित एक संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की संलिप्तता का पता चला था।

पीएमएलए के तहत की गई जांच से पता चला है कि मादक पदार्थ कथित रूप से म्यांमार से प्राप्त किए गए थे और भारत के अन्य भागों में स्थित प्राप्तकर्ताओं एवं संचालकों तक आगे पहुंचाने के लिए भारत-म्यांमार सीमा के रास्ते मिजोरम में लाए गए थे। आगे की जांच से तस्करी नेटवर्क के हिस्से के रूप में म्यांमार स्थित आपूर्तिकर्ताओं, स्थानीय समन्वयकों, परिवहनकर्ताओं, अनुरक्षक वाहनों तथा प्राप्तकर्ताओं की संलिप्तता का भी संकेत मिला है।

आगे की जांच से पता चला है कि मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित आय को कथित रूप से विभिन्न व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थाओं के नाम पर संचालित बैंक खातों के नेटवर्क के माध्यम से एकत्रित, अंतरित और छिपाया गया था। जांच से मादक पदार्थों के व्यापार से संबंधित धनराशि की प्राप्ति, अंतरण और निपटान के लिए एक संगठित हवाला नेटवर्क के उपयोग का भी संकेत मिला है। कई खातों में पर्याप्त मात्रा में जमा, बार-बार नकद जमा, त्वरित रूप से आगे अंतरण तथा ऐसे लेन-देन की मात्रा पाई गई, जो जांच के दौरान दर्ज किए गए अनुसार, संबंधित खाताधारकों द्वारा घोषित व्यावसायिक प्रोफाइल के अनुपात में नहीं थी।

जांच से यह भी पता चला है कि म्यांमार के नागरिक थांगचिंतुआंग उर्फ चिंतुआंग मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले उस नेटवर्क का मुख्य सरगना बनकर उभरा, जो म्यांमार से भारत में मादक पदार्थों की खरीद, आपूर्ति, परिवहन तथा वित्तीय निपटान में संलिप्त था। उसे मई 2026 में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और तत्पश्चात उसे केंद्रीय कारागार, आइजोल में रखा गया। अपने बयान के दौरान चिंतुआंग ने म्यांमार से भारत में हेरोइन और मेथामफेटामाइन की खरीद एवं आपूर्ति में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और खुलासा किया कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उस मादक पदार्थ की खेप की आपूर्ति की थी, जिसे बाद में 21.08.2025 को एनसीबी द्वारा जब्त किया गया था।

चिंतुआंग ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क की कार्यप्रणाली का भी खुलासा किया, जिसमें म्यांमार में स्थित आपूर्तिकर्ताओं से मादक पदार्थों की खरीद, भारत-म्यांमार सीमा

के साथ दुर्गम मार्गों के माध्यम से उनका परिवहन, भारतीय प्राप्तकर्ताओं तक उनकी सुपुर्दगी तथा मादक पदार्थों से अर्जित आय के निपटान के लिए अपनाई गई व्यवस्था शामिल थी। उसने अवैध मादक पदार्थ तस्करी गतिविधियों से अर्जित आय की प्राप्ति, अंतरण और निपटान के लिए उपयोग किए गए कई भारतीय बैंक खातों का विवरण भी बताया। इसके बाद बैंकिंग लेन-देन की कड़ियों के विश्लेषण से खातों के बीच पर्याप्त मात्रा में अंतरण, नकद जमा तथा धनराशि का त्वरित रूप से आगे अंतरण किए जाने का पता चला। तदनुसार, **4,76,51,149/- रुपये** की पहचान की गई और अनुरेखणीय अपराध से अर्जित आय, जो वर्तमान में चिन्हित बैंक खातों में पड़ी हुई है, को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 5(1) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है, ताकि इसके छिपाव, अंतरण अथवा अपव्यय को रोका जा सके।

पूर्व में भी, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत की गई तलाशी कार्यवाहियों के दौरान, आरोपी और अन्य लाभार्थियों द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों में पाई गई लगभग 3.42 करोड़ रुपये की राशि को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17(1ए) के तहत फ्रीज किया गया था।

अतः, अब तक लगभग 8.19 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत सुरक्षित किया गया है, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17(1ए) के तहत फ्रीज की गई लगभग 3.42 करोड़ रुपये की राशि तथा वर्तमान में धारा 5(1) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क की गई 4.76 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

आगे की जांच जारी है।